

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 967 / 14

संस्थापन दिनांक:-12 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504002912014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

अनिल पिता परसराम सोनपुरे, उम्र 34 वर्ष,
निवासी वार्ड क. 03, नाई मोहल्ला आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.10.2014 को समय 11:30 बजे या उसके लगभग नाई मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामप्यारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामप्यारी को लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी रामप्यारी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23.10.2014 को दोपहर 11:30 बजे उसके ससुर का देहांत होने से उन्हें देखने गयी थी। जब वह अपने ससुर के पैर पड़ने लगी तो अभियुक्त ने उसे मां बहन मादरचोद छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी और लात मारकर गिरा दिया जिससे उसे छाती तथा दाहिने पैर की जांघ पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारकर खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 880 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी रामप्यारी को लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 रामप्यारी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसके साथ गाली गलौच की थी। साक्षी अनिल (अ.सा.-2), अशोक (अ.सा.-3) एवं ललिता (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त गाली गलौच कर रहा था।

6 साक्षी/फरियादी रामप्यारी (अ.सा.-1), अनिल (अ.सा.-2), अशोक (अ.सा.-3) एवं ललिता (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गाली गलौच किये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 रामप्यारी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी रामप्यारी (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 रामप्यारी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर के सामन रोड के पास की है। घटना दिनांक को उसके ससुर की गमी में वह घर के सामने रोड पर गयी और अपने ससुर पर न्यौछावर करने लगी तब अभियुक्त ने उसे पैर से मारा जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। अनिल (अ.सा.-2), अशोक (अ.सा.-3), ललिता (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह फरियादी रामप्यारी के घर गमी में आये थे। जब रामप्यारी अपने ससुर पर न्यौछावर कर रही थी तब अभियुक्त अनिल ने उसे पैर से मारा था।

9 जी.एस. ठाकुर (अ.सा.-5) ने दिनांक 26.10.2014 को पुलिस थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 880/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 26.10.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 16.11.2014

को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-4) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षीगण फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी है। अभियोजन के द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परिक्षीत नहीं कराया गया है और साथ ही फरियादी को कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट भी नहीं आयी है। अभियुक्त के विरुद्ध संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकरण किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि प्रकरण में अभियोजन के द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को परिक्षीत नहीं कराया गया है। साक्षी अनिल, अशोक, ललिता फरियादी के परिवार के होकर रिश्तेदार गवाह है परंतु मात्र रिश्तेदारी किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

12 अनिल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय गमी में अपने मौसिया ससुर के यहां आया हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी को पैर से चोट नहीं पहुंचायी थी। अशोक सोलंकी (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह गमी कार्यक्रम में आया हुआ था। जब विवाद हो रहा था तो वह अभियुक्त के पीछे था। उसकी बहन रामप्यारी ससुर के पैर पड़ने के लिए आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि बहुत भीड़ होने के कारण भीड़ में किसी का पैर किसी को लग जाता है तो पता नहीं चलता है। साक्षी ने स्वतः में कहा कि जब कोई जानबूझकर मारता है तो पता चलता है। साक्षी ने फरियादी एवं उसके मृतक ससुर के बीच पूर्व से पैसों के विवाद के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है। ललिता (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि रामप्यारी उसकी बहन है और उसके घर में उसका आना जाना लगा रहता है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घटना दिनांक को घटना स्थल पर नहीं था। फरियादी रामप्यारी (अ.सा.-1) ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि ट्रक को बेचने पर जो पैसे मिले उसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि जब वह न्यौछावर कर रही थी तब अभियुक्त उपस्थित नहीं था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त ने पैर से उसे कोई चोट नहीं

पहुंचायी थी।

13 प्रकरण में साक्षी रामप्यारी (अ.सा.-1), अनिल (अ.सा.-2), अशोक (अ.सा.-3), ललिता (अ.सा.-4) अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा फरियादी को पैर से मारे जाने पर अखंडित रहे हैं। घटना दिनांक 23.10.2014 की प्रातः 11:30 बजे की है। घटना की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर में 01:40 बजे करा दी गयी है। फरियादी रामप्यारी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। यद्यपि फरियादी रामप्यारी का चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया गया है परंतु धारा 323 भा.दं.सं. के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आहत के शरीर पर कोई चोट पायी ही जाये। फरियादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा पैर से मारे जाने पर छाती एवं जांघ पर चोट आना बताया है। निश्चित ही अभियुक्त के उक्त कृत्य से फरियादी को शारीरिक पीड़ा हुई जो कि उपहति की श्रेणी में आती है। अतः मात्र फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण न कराये जाने से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा आहत को कोई उपहति कारित नहीं की गयी हो। फरियादी अभियुक्त द्वारा उसे पैर से मारे जाने के कथन पर पूर्णतः स्थिर है तथा उसके कथनों का समर्थन अभियोजन साक्षीगण ने किया है। अतः उपर्युक्तानुसार की गयी विवेचना से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी रामप्यारी को पैर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

14 अभियुक्त के द्वारा भरी भीड़ में फरियादी को पैर से मारना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी रामप्यारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामप्यारी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामप्यारी को लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त अनिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

16 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

17 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वह मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा आहत को कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं आयी है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

18 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

19 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं द टना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

भुगताया जावे।

20 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत रामप्यारी पति प्रकाश सोनपुरे निवासी नाई मोहल्ला, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)